झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)

Phone: 0651-2401917, E-mail: dirjharkhandculture@gmail.com

पत्रांक :– 497 राँची, दिनांक :– 11/12/2024

झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रण संबंधी सूचना :–

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं० 191 दिनांक 21.06.2019 के द्वारा झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुदान नियमावली, 2019 गठित है। उक्त नियमावली के विहित प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वित्तीय सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत् कार्रवाई अपेक्षित है :–

आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 08.01.2025, अप० 4.00 बजे।
आवेदन समर्पित करने का स्थान	निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची का कार्यालय –आगत–निर्गत शाखा, कमरा संख्या 309(A), तृतीय तल,एम०डी०आई०भवन, धुर्वा, राँचीः 834004
आवेदन समर्पित करने का माध्यम	निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर / हाथों–हाथ।

2. आवेदक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के वेबसाईट www.jharkhandculture.com एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर उक्त नियमावली की प्रति, आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करते हुए, अपना पूर्ण आवेदन सभी वांछित अभिलेखों (पूर्णतः हस्ताक्षरित, Index सूची जिसमें संलग्न अभिलेखों की संक्षिप्त विवरणी एवं पृष्ठ अंकित हो) के साथ बंद लिफाफे में समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में गुम / विलम्ब हुये आवेदनों की जिम्मेवारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

निदेशक, संस्कृति
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
झारखण्ड, रांची ।

PR.NO.341788 Art Culture Sports and Youth Affairs(24-25):D

झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुदान नियमावली अंतर्गत विज्ञापन के क्रम में आवेदन समर्पित करने संबंधित आवेदन प्रपत्र सह **Index** सूची :–

क्र०	अभिलेख विषय	संक्षिप्त विवरणी	विस्तृत विवरणी हेतु संलग्न अभिलेख (यथा निर्धारित अभिप्रमाणित / स्वहस्ताक्षरित एवं मुहरित) का पृष्ठ संख्या
1.	संस्था का नाम एवं पता / कार्यालय पता / ई–मेल एवं दूरभाष।		
2.	संस्था का संविधान एवं उद्देश्य, संस्था की उपविधी / संस्था के सदस्यों, पदाधिकारियों की सूची सहित। (अभिप्रमाणित प्रति)।		
3.	संस्था का निबंधन का प्रमाण पत्र (अभिप्रमाणित प्रति), निबंधन सं० ।		
4.	संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन (फोटोग्राफ और समाचार पत्र कतरनों के साथ) विगत् तीन वर्षों में कराये गये कार्यक्रमों / गतिविधियों से संबंधित अभिलेख।		
5.	परियोजना की विस्ततृ विवरणी, उसकी पूरी होने की अवधि, उसका कार्यान्वयन कराने वाले प्रोफेशनल की सूची, उनका बायोडाटा आदि तथा उसका बजटीय ब्रेकअप के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव :–		
	(क) परियोजना की विस्तृत विवरणी।		
	(ख) परियोजना पूरी होने की अवधि।		
	(ग) परियोजना को कार्यान्वयन कराने वाले प्रोफेशनल की सूची, उनका बायो डाटा आदि।		
	(घ) संस्था (या सोसाइटी) की सामान्य परिषद् / कार्यकारिणी निकाय द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने संबंधी पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की प्रति ।		
	(च) उसका बजटीय ब्रेकअप के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव ।		
	(छ) परियोजना की राशि ।		
6.	संस्था के विगत् तीन वर्षो का आय एवं व्यय का चार्टड एकाउटेंड द्वारा प्रमाणित अकेक्षण प्रतिवेदन।		
7.	संस्था का विगत वर्षों में राज्य / केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान / वित्तीय सहायता का ब्योरा यदि कोई हो, उपयोगिता प्रमाण पत्र।		
8.	संस्था के बैंक एकाउंट संबंधी विवरण।		

(आवेदक संस्था के अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर, नाम, पता, मो०नं० एवं मोहर)

क्र०	अभिलेख विषय	संक्षिप्त विवरणी	विस्तृत विवरणी हेतु संलग्न अभिलेख (यथा निर्धारित अभिप्रमाणित/स्वहस्ताक्षरित एवं मुहरित) का पृष्ठ संख्या
9.	सक्षम पदाधिकारी की अनुशंसा (आवेदन संबंधित राज्य अकादमी/उपायुक्त/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सांस्कृतिक संस्थाएं/उपविकास आयुक्त/अनुमण्डल पदा०/जिला जनसंपर्क पदा०/ जिला स्तरीय विभागीय पदा० द्वारा अनुशंसित होना चाहिए) (निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अनुशंसा पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसित एवं अनुशंसा पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत पत्रांक दिनांक के सहित)		
10.	ब्लैक लिस्टेड नहीं होने संबंधी घोषण पत्र ।		
11.	आवेदक की घोषणा : संस्था के संबंध में दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी अभिलेख पूर्णतया सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत/भ्रामक/तथ्यहीन, सूचना/अभिलेख के लिए संस्था पर सरकार के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।		

नोट :– समर्पित आवेदन के सम्पूर्ण पृष्ठों की अधिकतम संख्या 100 (एक सौ) तक होनी चाहिए एवं उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 04 के अंतर्गत अधिकतम 60 पृष्ठों का ही संकलन किया जायेगा। उपर्युक्त आवेदन प्रपत्र सह Index सूची के अनुसार कंडिकावार व्यवस्थित तरीके (In Arranged Way) में आवेदन समर्पित किया जायेगा अन्यथा समर्पित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(आवेदक संस्था के अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर, नाम, पता, मो०नं० एवं मोहर)

<u>अनुशंसा प्रपत्र</u>

(निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अनुशंसा पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसित एवं अनुशंसा पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत पत्रांक दिनांक के सहित)

कार्यालय का नाम :–...
पत्राक :–.. दिनांक :–..

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ....
....(संस्था का नाम एवं पता) , ...

....(निबंधन संख्या) .... (वर्षो की संख्या) से ....

....(कार्य क्षेत्र)

में कार्यरत है। उक्त संस्था का कार्य–कलाप संतोष जनक हैं। झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुदान नियमावली के अंतर्गत उक्त संस्था के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र नियमानुसार सही पाये जाने पर नियमावली के अंतर्गत संस्था को अनुदान देने पर विचार किया जा सकता है।

स्थान ....

अनुशंसा पदाधिकारी का हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

अनुशंसा पदाधिकारी का नाम ....

अनुशंसा पदाधिकारी का पदनाम एवं मोहर ....